

फर्द अहकाम

बनाम सुभाषी

दीर्घकाल

नाम न्यायालय

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 2/2020

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा दिनांक 23/2/2024 को पत्र जारी किया गया है। प्रत्येक अवकाश/अन्य राजस्व कार्य को ध्यान में रखा जायेगा। अतः पत्रवाली मु. जयपुर दिनांक 26/3/2024 को पेश हो।

26/3/24

पत्रवाली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय को पत्र का पत्र है। अतः पत्रवाली पूर्वानुसार दिनांक 3/5/24 को पेश हो।

3/5/2024

पत्रवाली प्रस्तुत। कलक्टर ने आज पत्र नहीं किया है। अतः पत्रवाली को अवरुद्ध किया गया। मूलवाट स्थान निषेधाज्ञा से लेकीयत से प्रार्थना पर मैं दृष्टि रखते से प्रथम इच्छा मामला, दुविधा का संकलन व सुप्रीम कोर्ट प्रार्थना के पत्र के प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रथम निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रवाली कलक्टर सुभाषी को पत्र जारी

दस्तावेज

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर